

प्रिय,

रा.न. दुर्गम,
विशेष शिक्षक,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

मुख्य,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
भारत केन्द्र-2 संभाग केन्द्र,
प्रधान विद्यालय, नई दिल्ली ।

आ.सं. 171 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 27 मार्च, 2002


वधुमः- तैदल पठिकाक स्कूल आजमगढ़ को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अन्यापत्ता प्रमाण पत्र प्रदान करने विधायक ।


महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहे का निदेश हुआ है कि तैदल पठिकाक स्कूल आजमगढ़ को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अन्यापत्ता प्रमाण पत्र प्रदिये जाने में उक्त राज्य सरकार को निम्नलिखित शर्तियों के अधीन अन्यापत्ता नहीं है :-

- 1. विद्यालय की पंजीकृत तोलायती का समय-समय पर न्यायानुसार कराया जायेगा ।
- 2. विद्यालय की प्रत्येक ताकति में शिक्षा निदेशक द्वारा निर्धारित सदस्य होंगा ।
- 3. विद्यालय में लक्ष्य के कम वस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उन्हे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघानित विद्यालयों में प्रवेश कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं मिलना चाहेगा ।
- 4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान को मांगना नहीं आयेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा मान्यता की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषद का संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्थान: तैदल पठिकाक स्कूल को प्राप्त हो जायेगा ।
- 5. संस्था शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय तैदल पठिकाक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

--- 2 ---


Principal
Central Public School
Jaffarpur-Azamgarh (UP)


MANAGER
CENTRAL PUBLIC SCHOOL
Jaffarpur, Azamgarh. (U.P.)-276001

- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसन्ध सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा।
 - 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।
 - 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/परिचिकाओं में रखा जायेगा।
 - 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की बूझ या शिथिलता बरती जर रही हो तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित अनुसन्ध प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

रामकुमार
विश्व सचिव।

पृ० न०-355/11/15-7-तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़।
- 3- जिला विशालय निरीक्षक, आजमगढ़।
- 4- निरीक्षक, आंगन भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- प्रबंधक, सेंट्रल पब्लिक स्कूल आजमगढ़।
- 6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

अखिलेश चन्द्र गुप्त
अनु सचिव।

Principal
Central Public School
Jaffarpur-Azamgarh (UP)

MANAGER
CENTRAL PUBLIC SCHOOL
Jaffarpur, Azamgarh.(U.P.)-276001